मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—:—

क0 286/59/18/ब—1/चार भोपाल, दिनांक 07/03/2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नर्मदा घाटी विकास,जल संसाधन,ग्रामीण विकास,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,लोक निर्माण, एवं ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः—वित्तीय वर्ष 2017—18 में पूंजीगत व्यय सीमा का निर्धारण ।
संदर्भः—वित्त विभाग का पत्र क्र. 244/59/18/ब—1/चार, दिनांक 23/02/2018.

संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए निम्नांकित प्रमुख विभागों के पूंजीगत व्यय को सीमित किया गया था। उक्त सीमा को पुनरीक्षित करते हुए (पुनरीक्षित अनुमान अनुसार) निम्न तालिका अनुसार नवीन सीमा निर्धारित की जाती है :—

स.क.	विभाग का नाम	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष 2017—18 के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा (राशि करोड़ रू.में)
1	2	3	4	5
1	नर्मदा घाटी विकास	48	4700	2416
2	जल संसाधन	23,45	4700,4701,4702,4705	5226
3	लोक निर्माण	24,67	4059,5054,4216	6267
4	लोक स्वा.यांत्रिकी	20	4215	1267
5	ऊर्जा (उदय योजना छोड़कर)	12	4801	3040
6	ग्रामीण विकास	30	4515	2695

2. इससे पूर्व वित्त विभाग के पत्र कमांक 335 /आर—1133 /2009/ ब—1/चार दिनॉक 30.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास हेतु (स्थापना व्यय को छोड़कर) आवंटित बजट के अधिकतम 30 प्रतिशत के व्यय की व्यय सीमा निर्धारित की गई थी ।

निरन्तर.....

3. कण्डिका–1 की तालिका के कॉलम नं. 5 में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए व्यय करने पर कण्डिका–2 की सीमा (चतुर्थ त्रैमास हेतु अधिकतम 30 प्रतिशत व्यय) लागू नहीं होगी ।

4. राज्य शासन के कोष से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एल 1–10/1157/2017/ब–7/डीएमसी/चार, दिनांक 09/10/2017 यथावत लागू रहेगा।

(अजीत कुमार)
संचालक बजट एवं सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क0287/59/18/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 07/03/2018

प्रतिलिपिः–

आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

(रूपेश कुमार पठवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग